तारीख हुक्म	मु.न. 54/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज बनाम रेस्पोन्डेंट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/6/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रा० पत्र के वर्णित आराजी मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज की आराजी है जो वास्ते सेवा पूजा हेतु माफीदारान है। सिवाला इन्द्राज खाताबंदी बन्दोबस्त सम्वत 1985 से हो रहा है एवं सेवा पूजा राज्य लगान माफ है। उक्त आराजी की काश्त की व्यवस्था तत्कालीन महंत भीकनदास पुत्र श्री यमुनादास जाति बैरागी द्वारा की जाती थी जो उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को लगान अथवा बटाई पर काश्त को देकर ठाकुर जी की सेवा पूजा का खर्चा चलाते थे। महंत भीकनदास की मृत्यु के पश्चात उनके कोई वारिस नहीं होने के कारण ठाकुर जी महाराज की सेवा पूजा व उनकी विवादित आराजी की काश्त का प्रबंध गांव पुरारी गुर्जर की एक गठित कमेटी द्वारा किया जाता है। गत वर्ष अप्रार्थीगण ने मिलकर उक्त विवादित आराजी को गठित प्रबंध कमेटी से तयशुदा ठेका राशि पर एक साल के लिए काश्त पर लिया था। परन्तु अप्रार्थीगण ने कमेटी द्वारा निर्धारित तिथि 15-04-25 तक राशि अदा नहीं की तो दिनांक 20-04-25	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
	को कमेटी द्वारा भेंट मांगे जाने पर अप्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया। तथा विवादित आराजी को अपनी पुश्तैनी आराजी बताते हुये इसकी बाबत अपने नाम अवैध रूप से पूर्व खातेदारी का खुलासा किया और धमकी दी कि विवादित आराजी का न तो भेंट देंगे और न ही विवादित आराजी से कब्जा हटायेंगे। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम अवैध इन्द्राज की जानकारी प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर हुयी। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं दाखिल और अविकल आवश्यक मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज की खातेदारी की आराजी का इन्द्राज प्रारंभिक स्टेज से अवैध है। अपने नाम हो रहे खातेदारी इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी को अप्रार्थीगण बेचान करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण को वादपत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौके आराजी ख0 न0 640, 642, 653, 654, 655 वाके ग्राम जुरहरी खुर्द तह0 उच्चैन पर पहले संवत् 2006 से पूर्व वारसान 1 लगायत 3 के पिता पीढ़ी शिकमी कृषक अंकित है चले आ रहे थे व वर्तमान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जमाबन्दी संवत् 2010 से 2013 में उन्होंके पितादास का शिकमी अंकित किया हुआ है। बाद में चलकर इन्तकाल 56 व 72 के द्वारा पीढ़ी को धारा 19 व 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। पीढ़ी के बाद विवादित आराजी के वारसान खातेदार काश्तकार काबिज हो गये।	

[illegible] अधिकारी
(भरतपुर)

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

सु. न. 34/2024

मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज V/s [illegible]

अप्रार्थी सं० 5 लगा० 19 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रा० पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जमींदारी उन्मूलन एक्ट के लागू होने के पूर्व से ही हम अप्रार्थीगण के पिता एवं बाबा के नाम उक्त विवादित आराजी चली आ रही है एवं उक्त आराजी अप्रार्थीगण को खातेदारी विरासत प्राप्त हुयी है। एवं उक्त विवादित आराजी पर सम्वत सन् 1993 से हम अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधि० प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है की विवादित आराजी [illegible] नहीं बल्कि [illegible] विवादित आराजी [illegible] द्वारा है जिसकी लगान माफ थी एवं 2010 सम्बत तक जमाबन्दी थी एवं सम्बत 2013 से [illegible] के नाम खातेदारी दर्ज हो गई जबकि उक्त आराजी मंदिर की महंत [illegible] के स्वर्गवास के पश्चात मंदिर की सेवा पूजा करने के [illegible] [illegible] के माध्यम से कब्जा पर [illegible] एवं [illegible] [illegible] के [illegible] उक्त विवादित आराजी [illegible] ने इसी प्रकार [illegible] पर ली थी एवं इसी बात का फायदा उठाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली। उक्त आराजी अभी [illegible] Possession में है। उक्त [illegible] सेवा पूजा [illegible] के [illegible] false [illegible] आराजी का बयान [illegible] द्वारा [illegible] दिया है। अप्रार्थीगण की [illegible] [illegible] के नाम कर दिया है। [illegible] [illegible] का निवेदन किया है।

अधि० अप्रार्थी सं० 1 लगा० 3 ने निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी के हम [illegible] खातेदार है एवं उक्त विवादित आराजी पर हमारा कब्जा है एवं खातेदारान को [illegible] [illegible] से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

अधि० अप्रार्थी सं० 5 लगा० 19 ने निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी से मूर्ति मंदिर एवं महंत [illegible] का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। उक्त विवादित आराजी पर सम्बत 2010 से [illegible] एवं [illegible] [illegible] लगातार चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी पर कब्जा अप्रार्थीगण का चला आ रहा है। प्रार्थीगण के कब्जा भी [illegible]

[illegible] अधिकारी
[illegible] (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रति श्री ठाकुर जी महाराज बनाम तेजसिंह
	भी नहीं है एवं खातेदारी भी किसी फ़ौत के नाम होने के कारण declaration का case भी नहीं बनता प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।
	मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र एवं जवाब, प्राप्त पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 1985 मौजा कुराली मुर्शद उक्त विवादित आराजी खातेदार बन्डू जमना दास खीम भैराजी का ईह मालीकार देन ... हाकूण्या मार्फीदार दर्ज रिकार्ड है जमाबंदी सम्वत् 2010 - 2013 के खातेदार खातेदार ठाकुरजी मौहरी बन्डू नत्थी ... दर्ज है जमाबंदी सम्वत् 2018 के मौहरी बन्डू नत्थी के नाम खातेदारी दर्ज है एवं हाल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के मुताबिक भी खातेदार दर्ज रिकार्ड है।
	प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
	अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 7/6/22 एवं 19/7/22 को जारीशुदा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश समाप्त कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा हाथ नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में आज दिनांक 3/6/25 को सुनाया गया।
	हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)